



2026:AHC:126799-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 8695/2026,**

अनुराग कुलश्रेष्ठ उर्फ अनु और 2 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता: | सत्य प्रकाश चतुर्वेदी                            |
| प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता:  | आकर्ष द्विवेदी, शासकीय अधिवक्ता, वरचस्व द्विवेदी |

**न्यायालय संख्या - 40**

**माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट**

**माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला**

याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर पूरक शपथ-पत्र अभिलेख में लिया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहतों की मांग की है:

"(i) दिनांक 26.03.2026 को मुकदमा अपराध संख्या 163/2026 में धारा 319(2), 318(4), 338, 340(2), 352 और 351(2) के तहत, थाना कोतवाली ओराई, जिला जालौन में दर्ज की गई एफआईआर (याचिका का अनुलग्नक संख्या 1) को रद्द करने के लिए उत्प्रेक्षण प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(ii) मुकदमा अपराध संख्या 163/2026 दिनांक 26.03.2026 में धारा 319(2), 318(4), 338, 340(2), 352 और 351(2) बीएनएस के तहत, थाना कोतवाली ओराई, जिला जालौन में दर्ज

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार करने से रोकने के लिए प्रत्यार्थियों को परमादेश प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया कि एफआईआर पारिवारिक विवाद के कारण दर्ज की गई है। याचिकाकर्ताओं का माननीय मंत्री जी से कोई संबंध नहीं है। पैसों का कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं के इस तर्क का खंडन करते हुए, प्रथम शिकायतकर्ता/प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री शाह नवाज खान और विद्वान अधिवक्ता श्री वर्चास्व द्दिवेदी ने बताया कि आरोपियों ने प्रथम शिकायतकर्ता को सरकारी नौकरी दिलाने के झूठे वादे और भ्रामक जानकारी देकर उससे पैसे ठग लिए। आरोपियों ने याचिकाकर्ताओं को जाली नियुक्ति पत्र भी जारी किए।

विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे बताया कि एफआईआर और अभिलेख में मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होता है और इसकी गहन जांच आवश्यक है। जांच जारी है। इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से जांच में बाधा उत्पन्न होगी, साक्ष्यों का नुकसान या गुम होना संभव होगा और यह हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992 एसयूपीजी (1) एससीसी 335 में रिपोर्ट किया गया) और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021) 19 एससीसी 401 में रिपोर्ट किया गया) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कानून का उल्लंघन होगा।

**भजन लाल (उपर्युक्त)** प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

102. संहिता के अध्याय 14 के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और संहिता की धारा 226 के तहत असाधारण शक्ति या धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों के संदर्भ में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनरुत्पादित किया है, हमने उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के प्रकरणों को दिया है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्देशित और अपरिवर्तनीय दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और उन असंख्य प्रकार के प्रकरणों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके मूल रूप में लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, जो एफआईआर के साथ हो, में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, जो संहिता कि धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जाँच को उचित ठहराता हो सिवाय संहिता कि धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत।

(3) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते और आरोपी के खिलाफ प्रकरण नहीं बनाते।

(4) जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं बल्कि केवल गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की अनुमति नहीं है।

(5) जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं कि उनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति यह उचित निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है, वहां कार्यवाही और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित है और/या जहां कार्यवाही आरोपी पर प्रतिशोध लेने और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के गुप्त उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण रूप से शुरू की गई है।

103. हम यह चेतावनी भी देते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग अत्यंत संयमपूर्वक और सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, और वह भी दुर्लभतम प्रकरणों में; न्यायालय एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अन्यथा की जाँच करने में उचित नहीं होगा और असाधारण या अंतर्निहित शक्तियाँ न्यायालय को अपनी मनमानी करने का अधिकार नहीं देती हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने **नीहारिका (उपरोक्त)** प्रकरण में कानून को इस प्रकार स्पष्ट किया:

"33.16. उपर्युक्त मापदंड लागू होंगे और/या उपर्युक्त पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 सीआरपीसी और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द करने की याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते समय विचार किया जाना आवश्यक है। हालांकि, रद्द करने की याचिका लंबित रहने के दौरान जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश सावधानीपूर्वक पारित किया जा सकता है।" इस प्रकार का अंतरिम आदेश नियमित रूप से, लापरवाही से और/या यांत्रिक रूप से पारित नहीं किया जाना चाहिए। सामान्यतः, जब जांच चल रही हो और तथ्य अस्पष्ट हों तथा संपूर्ण साक्ष्य/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष न हो, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तारी न करने या "कोई दंडात्मक कदम न उठाने" का अंतरिम आदेश पारित करने से बचना चाहिए और अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के लिए कहा जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द्वारा धारा 173 सीआरपीसी के तहत जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक और/या अंतिम रिपोर्ट/आरोपपत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी न करने और/या "कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने" का आदेश पारित करना उचित नहीं है, जबकि धारा 482 सीआरपीसी और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को खारिज करते हुए/निपटाना उचित नहीं है।

**भजन लाल (उपरोक्त)** और **नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त)** प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय इस प्रकरण के तथ्यों पर पूर्णतः लागू होते हैं और हमें याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने से रोकते हैं।

तदनुसार, एफआईआर को रद्द करने की मांग भी इन्हीं कारणों से अस्वीकार की जाती है।

रिट याचिका खारिज की जाती है।

**11 जून, 2026**

**(माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मीकांत शुक्ला) (माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट)**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।